# न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी तारानगर (चूरू)

पीठासीन अधिकारी श्री रवि कुमार (आर.ए.एस.)

मु.नं.-.....74......./2024

झिंडा राम पुत्र रावताराम जाति जाट निवासी भलाऊ टिब्बा तहसील तारानगर जिला चूरू ।

— प्रार्थी —

बनाम

राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार (राजस्व) तारानगर।

— अप्रार्थी —

**प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 लैण्ड रेवन्यू एक्ट व धारा 88 आर.टी.एक्ट.**

दिनांक 30.04.2024

## निर्णय

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना मय शपथ पत्र में संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि प्रार्थी के नाम कृषि भूमि रोही मौजा भलाऊ टिब्बा तहसील तारानगर के खसरा सं. 145 तादादी 0.2276 हैक्ट., खसरा सं. 691/148 तादादी 2.2887 हैक्ट., खसरा सं. 694/42 तादादी 1.7577 हैक्ट. कुल तादादी 4.2740 हैक्ट. हैं। जिसमें प्रार्थी का नाम झिण्डूराम अंकित है जो गलत है, जबकि प्रार्थी का नाम झिंडा राम सही है। प्रार्थी के आधार कार्ड, राशन कार्ड, जन आधारकार्ड तथा अन्य दस्तावेजों में प्रार्थी का नाम झिंडा राम है। नाम में भिन्नता होने के कारण प्रार्थी को कृषि ऋण, फसल बेचान आदि में काफी परेशानी का सामना करना पडता है। अब प्रार्थी जमाबन्दी में अपना नाम दुरूस्त करवाना चाहता है। जमाबन्दी में अपना नाम दुरूस्त करवाने के लिए प्रार्थी ने तहसीलदार के समक्ष प्रार्थना पत्र पेश किया था। परन्तु तहसीलदार ने बिना किसी न्यायालय के आदेश के नाम दुरूस्त करने से इंकार कर दिया। इसलिए श्रीमानजी के समक्ष प्रार्थना प्रत्र पेश कर रहा है। अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कृषि भूमि रोही मौजा भलाऊ टिब्बा तहसील तारानगर के खसरा सं. 145 तादादी 0.2276 हेक्ट., खसरा सं. 691/148 तादादी 2.2887 हैक्ट., खसरा सं. 694/42 तादादी 1.7577 हैक्ट. कुल तादादी 4.2740 हैक्ट. में प्रार्थी का नाम झिंडा राम किये जाने का आदेश प्रदान करें।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रार्थी द्वारा तहसीलदार तारानगर के समक्ष दियें प्रार्थना पत्र आई पूर्व में प्राप्त रिपोर्ट पटवार हल्का भलाऊ ताल के अनुसार प्रार्थी राजस्व रिकार्ड में अपना नाम दुरूस्त करवाना चाहता है। अब प्रार्थी अपने आधार कार्ड, राशन कार्ड, जन आधारकार्ड, शपथ पत्र व अन्य दस्तावेजों के आधार पर प्रार्थी अपना नाम झिण्डूराम की जगह झिंडा राम करवाना चाहता है। आज दिनांक तक राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी का नाम झिण्डूराम ही दर्ज है। अतः प्रार्थी **झिण्डूराम** की जगह **झिंडा राम** दुरूस्त किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जाना उचित होगा।

पत्रावली का अवलोकन किया गया पटवार हल्का भलाऊ ताल की रिपोर्ट प्रार्थी के प्रार्थना पत्र की पुष्टि होती है अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा कृषि भूमि रोही मौजा भलाऊ टिब्बा तहसील तारानगर के खसरा सं. 145 तादादी 0.2276 हेक्ट., खसरा सं. 691/148 तादादी 2.2887 हैक्ट., खसरा सं. 694/42 तादादी 1.7577 हैक्ट. कुल तादादी 4.2740 हैक्ट. के राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज प्रविष्टि झिण्डूराम के स्थान पर झिंडा राम अंकित किया जाए तथा शेष राजस्व रिकॉर्ड यथावत रखा जाए। निर्णय की प्रति तहसीलदार तारानगर को राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद हेतु भिजवाई जावे। इस विचार न्यायालय का यह निर्णय अपीलीय निर्णय है। पत्रावली फैसल शुंमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 30.04.2024 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

(मुहर: उपखण्ड अधिकारी तारानगर (चूरू))

(हस्ताक्षर)

( रवि कुमार आर.ए.एस. )
पीठासीन अधिकारी एवं
उपखण्ड अधिकारी तारानगर (चूरू)

(मुहर: उपखण्ड अधिकारी तारानगर (चूरू))